कोड सख्ंया :–.......... उत्तरदाता का वर्ग :–....... जिला ....राज्य :–.............. दिनांक :–...............

मुख्य शोध परियोजना के लिए विकसित लिकर्ट पैमाना

महोदय/महोदया,

यह प्रश्नावली एक शोध कार्य का एक हिस्सा है। इस दौरान किसी भी परिवार/समुदाय/बिरादरी की संवेदनाओं को अक्षत रखने का पूरा प्रयत्न किया जाएगा। आप अपने विचार बिना किसी रोग, द्वेष, भय तथा पक्षपात से व्यक्त करें। आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी। इसमें आपके उत्तरों को निम्न विकल्पों में विभाजित किया गया है।

1. पूर्णतः सहमत 2. सहमत 3. कह नहीं सकते 4. असहमत 5. पूर्णतः असहमत

(i) नाम........................... (ii) लिंग........ (iii) जाति.......................
(iv) शिक्षित/आशिक्षित (v) आयु...................(वर्षो में)
(vi) खाप पंचायतों की कार्यप्रणाली का अनुभव (वर्षो में)................
(vii) विभाग/सगंठन/ग्राम पंचायत/खाप पचायंत का नाम......................................

		1	2	3	4	5
1.	इस क्षेत्र में खाप पंचायतें सक्रिय हैं					
2.	ग्राम पंचायत वैवाहिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती					
3.	ग्राम पंचायतों और खाप पंचायतों के मध्य संपर्क बना रहता है					
4.	खाप पचांयतों के पदाधिकारियों के चुनाव में कोई निश्चित प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती					
5.	खाप पंचायतों की गहन रूचि समाज सुधार में नहीं बल्कि अपना अस्तित्व बनाए रखने की और राजनीति करने की रहती है					
6.	खाप पंचायतों का नेतृत्व खाप के सभी सदस्यों के हितों का सही प्रतिनिधित्व नहीं करता					
7.	खाप पंचायतों की एकता वंशावली के इतिहास पर निर्भर करती है।					
8.	लड़के और लड़की द्वारा अपनी मर्जी से जीवन साथी चुनकर विवाह करना उचित है					
9.	सगोत्र को तोड़ना बुरा है ।					
10.	एक ही गांव के लड़के–लड़की की शादी करना बुरा है।					
11.	अमान्य रीति से हुये विवाह पर हुई खाप पंचायत में दर्ज हुई आपत्तियों से मै सहमत रहता/रहती हूं					
12.	विवाह करने की पारम्परिक रीति की निरतरंता बनी रहनी चाहिए					

13.	यदि इच्छा से शादी करने से पुरानी परम्पराओं का उल्लंघन होता है तो मर्जी से विवाह करना जायज है।					
14.	शादी करने के इच्छुक लड़के–लड़कियों के परिवारों के खानदान को ध्यान में रखने से शादी सफल रहती है।					
15.	शादी से पूर्व भावी वर–वधू के स्वास्थ्य की जांच होनी चाहिए ।					
16.	रिश्ता तय करने से पहले माता–पिता को एक गोत्रों का जानकार बुलाना चाहिए ।					
17.	भारत की सभी जातियों और बिरादरियों के लिए एक गोत्र नियम लागू नहीं किया जा सकता ।					
18.	विवाह से पहले वशंजों के गोत्र को मिलाने का वैज्ञानिक आधार है					
19.	विवाह से पहले वशंजों के गोत्र को मिलाने का वैज्ञानिक आधार उपलब्ध नहीं है					
20.	एक ही माता–पिता की संतान का गोत्र केवल पिता के गोत्र के रूप में स्वीकारने का आधार वैज्ञानिक नहीं है।					
21.	एक ही कुल अथवा सम–रक्त ग्रुप में विवाह से उत्पन्न औलाद में खानदानी रोग की संभावना बढ़ सकती है।					
22.	एक ही कुल में या सम–रक्त व्यक्ति से विवाह की बजाए अन्तरजातीय विवाह से उत्पन्न वंशज में जन्म से होने वाले दोष की संभावना कम होती है।					
23.	सगोत्र को छोड़करअन्य किसी गोत्र में विवाह होने की स्थिति से मैं सहमत हूं।					
24.	गोत्र तोड़ने से गांव में भाईचारे पर उल्टा असर पड़ता है।					
25.	शिक्षा और ज्ञान के कारण गांव आधारित सगोत्र एकता कमजोर हुई है।					
26.	आज के समय में जानकारी के स्तर में बढ़ोतरी होने और लोकतंत्रात्मक मूल्यों के प्रभाव से ग्रामीण इलाकों में भाईचारा कमजोर हुआ है।					
27.	संस्कृतियों के आपस में मिलने और मीडिया के प्रभाव से नवयुवक –युवतियों के सामने गोत्र पहचान का संकट गंभीर हो गया है।					
28.	हरियाणा में लिंग अनुपात में बढ़ते अंतर को चेतावनी मान कर खाप पंचायतों के गोत्र नियमन आग्रह को ढीला कर दिया जाये ।					
29.	आज का युवा व युवती जीवन साथी चुनने के लिए शिक्षा व व्यक्तित्व को महत्व देते हैं न कि गोत्र के नियमों को ।					
30.	गांव के अति प्रभावशाली परिवार के लड़का लड़की यदि गोत्र के खिलाफ शादी तय करते हैं तो प्रायः खाप पंचायत चुप रहती है।					

31.	पश्चिमी और उत्तरी हरियाणा के कुछ क्षेत्रों, राजस्थान, उत्तरप्रदेश और देहली देहात क्षेत्रों में गोत्र के नियमों को कठोरता से लागू नहीं किया जाता ।					
32.	गोत्र की पहचान करना कठिन है क्योंकि समय–समय पर विभिन्न कबीलों में स्थानान्तरण की प्रक्रिया चलती रहती है।					
33.	कुल वैर और मैत्री भावों के कारण विभिन्न बिरादरियों के गोत्र इतने अधिक आपस में मिल गये हैं जिससे इनकी मौलिक पहचान और शुद्धता का पता लगाना कठिन है?					
34.	इतिहास में विभिन्न परिवर्तनों के कारण गोत्रों की कड़िया आपस में उलझ गई हैं।					
35.	शिक्षा के प्रचार–प्रसार व चेतना के कारण कानून, परम्परा और रीति–रिवाजों के सम्बधों में मौलिक परिवर्तन हुए हैं					
36.	ऐसा प्रतीत होता है कि खाप पंचायतों के निर्णयों के पीछे नैतिक बल होता है।					
37.	खाप पंचायतों के निर्णयों को इस लिए माना जाता है क्योंकि इनसे समाज में एकता बनाये रखने की अपील होती है।					
38.	खाप पंचायतों की एकता गोत्रों के इतिहास और राजनीतिक स्वार्थो पर निर्भर करती है।					
39.	खाप पंचायतों की एकता उनके प्रभावी व स्थिर नेतृत्व पर निर्भर करती है					
40.	खाप पंचायतों की बैठकों में जो फैसले लिए जाते हैं, उनका कोई रिकॅार्ड नहीं रखा जाता तथा आवेश में आकर फैसले सुनाए जाते हैं					
41.	देखा गया है कि खाप पचांयतों के निर्णयों की सुनवाई में दम्पति अक्सर गैरहाजिर होते है और प्रभावित व्यक्तियों का पक्ष सुने बगैर ही उनकी अनुपस्थिति में एकतरफा हुआ फैसला सुना दिया जाता है।					
42.	खाप पंचायतों द्वारा घोषित सजा की स्वीकार्यता क्या इसलिये है कि इनके पीछे सामाजिक बहिष्कार होने के अलावा आर्थिक नुक्सान होने की आशंका बनी रहती है					
43.	खाप पंचायतों के फैसलों का विरोध अनुचित व्यवहार माना जाता है और इन पंचायतों की अवमानना भी					
44.	अपनी पसंद से शादी तय करके परम्पराओं को तोड़ने पर घर से निकालने जैसी कठोर सजा देना जायज है					
45.	खाप पंचायत के बुजुर्गों के द्वारा लिये गये फैसलों में लोगों की आस्था बनी रहती है और उनके निर्णयों पर कोई सवाल नही उठाये जाते ।					
46.	खाप पंचायते नशाखोरी, बेरोजगारी और गरीबी जैसे मुद्दों की अवहेलना करके केवल वैवाहिक विवादों के प्रति आक्रामक रूख अपनाकर प्रसिद्धि हासिल करना चाहती हैं।					

47.	शादी न करने के नियमों की बजाय शादी कैसे की जाये, के नियमों पर जोर देना चाहिए ।					
48.	गोत्र मिलान में चूक से हुई शादी व विकसित परिवार पर जुर्माना व नैतिक सजा की घोषणा जायज है					
49.	गौत्र मिलान में चूक से हुई शादी एवं उससे विकसित परिवार की स्थिति में युगल की हत्या करना जायज है					
50.	गोत्र मिलान में चूक से हुई शादी एवं उससे विकसित परिवार को गांव से निकालना करना और उसका उत्पीड़न जायज है।					
51.	खाप पंचायतें सामाजिक सुधार और भाईचारे को बनाए रखने के लिए उचित कार्य कर रही हैं					
52.	विभिन्न राजनैतिक दलों के नेता प्रभावशाली जाति का समर्थन प्राप्त करने के लिए परम्पराओं का विरोध करने की हिम्मत नही जुटा पाते ।					
53.	मान–सम्मान की रक्षा करने का एकमात्र और सही उपाय ऑनर किलिंग ही है					
54.	ऑनर का मतलब केवल विवाह के गोत्र नियम तोड़ने और काम वासना की अलिखित मान्यताओं को न मानना है।					
55.	राजनैतिक दलों के नेता सत्ता हथियाने के लिए समाज सुधार, एकता, और भाईचारा के जातिवाद के नाम पर उत्तेजक भावनाओं का नाजायज फायदा उठाते है।					
56.	राजनेताओं के वोट बैंक के कारण कानून व्यवस्था पर उल्टा असर पड़ता है।					
57.	लोक परम्पराओं में राजनेताओं के विश्वास के कारण कानून व्यवस्था पर बुरा असर पड़ता है।					
58.	विभिन्न दलों के राजनेता समाज के विभिन्न समूहों की तीखी प्रतिक्रियाओं और वोट बैंक के नुक्सान के डर से परम्पराओं का विरोध नहीं कर पाते ।					
59.	राज्य के प्रशासनिक आधिकारी और खाप पंचायतों के प्रतिनिधि आपस में मिलजुलकर यदि बातचीत करें तो सामाजिक तनाव और परिवारों के मध्य मतभेदों के मामलों को सुलझाने में सहायता मिल सकती है					
60.	सत्ता पक्ष एवम् प्रतिपक्ष से सम्बध रखने वाले राजनैतिक दल आपस में मिलजुलकर यदि बातचीत करें तो सामाजिक तनाव और परिवारों के मध्य मतभेदों के मामलों को सुलझाने में सहायता मिल सकती है					
61.	सभी राजनैतिक दल, गैर सरकारी सगंठन, समाज सुधारक, आर्य समाज और विभिन्न बिरादरियों के समूह आपस में मिलजुलकर यदि बातचीत करें तो सामाजिक तनाव और परिवारों के मध्य मतभेदों के मामलों को सुलझाने में सहायता मिल सकती है					

62.	सामाजिक मुद्दों पर सहमति बनाने के लिए सभी राजनैतिक दल एक मंच पर इकट्ठे होने से परहेज करते है	
63.	सहयोगी अभिशासन प्रक्रिया के लिए समाज और अन्य प्रतिभागी सांझेदारों के मध्य बातचीत होनी चाहिए ।	
64.	यदि राज्य, समाज और अन्य प्रतिभागी सांझेदार समस्याओं को समझने के लिए एक मंच पर आते है तो इससे सुअभिशासन को प्रोत्साहन मिल सकता है	
65.	भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, बेरोजगारी और ग्रामीण अंचल में उभरते हुए अन्य ज्वलंत मुद्दों पर राजनैतिक दलों, गैर–सरकारी गठनों, ग्राम पंचायतों और खाप पचांयतों के द्वारा आपस में मिलजुलकर सहमति बनाने की पहल की कम संभावना नजर आती है।	
66.	ऑनर किलिंग को अंजाम देने से पहले खाप अथवा खाप पंचायत के प्रतिनिधियों को जानकारी होती है	
67.	ऑनर किलिंग को अंजाम देने से पहले खाप अथवा खाप पंचायत के प्रतिनिधियों की मूक–सहमति होती है	
68.	ऑनर किलिंग सम्बंधित प्रभावित परिवार/ परिवारों/ रिश्तेदारों का निजी फैसला होता है और इनमें खाप पंचायतों की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं होती	
69.	ऑनर किलिंग समाज के दबाव अथवा भय से उत्पन्न बुराई से बचने के लिए की जाती है	
70.	खाप पंचायतों की कार्रवाई से पहले विज्ञान, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र और कानून के विशेशज्ञों से सलाह लेनी चाहिए और इन विशेशज्ञों की एक स्थायी समिति सर्वखाप पंचायत के साथ तैनात रहनी चाहिये ।	
71.	स्वेच्छा से किये गये विवाहों से उत्पन्न विवाद और ऑनर किलिंग को रोकने के लिए संबंधित परिवारों को अन्य उपाय करने चाहिए ।	
72.	भविष्य में खाप पंचायतों की प्रत्येक बैठक में न्ययापालिका की ओर से एक ऑब्जर्वर नियुक्त किया जाये और प्रत्येक खाप अपनी बैठक की कार्रवाई प्रकाशित करें ।	
73.	खाप पंचायतों की कार्यप्रणाली में खामियों को दर्ज करवायें और इसमें सुधार लाने के बारे में अपने सुझाव प्रस्तुत करें।	....

....

....

....

....

धन्यवाद

डॉ0 राजकुमार सिवाच
(94160–22116)
लोक प्रशासन विभाग, चौ. देवीलाल विश्वविद्यालय, सिरसा (हरियाणा) ईमेल.
khapcdlu@gmail.com